कार्यालय परियोजना अधिकारी
(एकीकृत बाल विकास परियोजना)
मैनपाट जिला-सरगुजा (छ.ग.)

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना
//विज्ञप्ति//

क्रमांक/547/स्था0/आई.सी.डी.एस/2026–27 मैनपाट, दिनांक – 13/11/2026

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02–04–2008 के नियम 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार पूर्व से स्वीकृत, प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में स्वीकृत आं.बा. केन्द्रों में **01 आंगनबाड़ी सहायिका** के पद रिक्त है। पद पूर्ति हेतु मानसेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन **दिनांक 16.11.2026 से 30.11.2026** तक महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय बेवसाइड https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **(ऑफलाईन व डाक/कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माने जावेगे।)**

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है :–

1. आवेदिका की आयु **18** से **44** वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)।
2. आवेदिका उसी ग्राम की निवासी हो, जहॉ आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। चूंकि मूल्यांकन पत्रक में उसी ग्राम के समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठता सूची तैयार की जावेगी। अतः आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए। जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।
3. निवासी होने के संबंध में प्रमाण (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर संबंधित ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची जिसमें उसके कमांक का उल्लेख हो, की सत्यापित प्रतिलिपि (सरपंच एवं सचिव दोनो द्वारा सत्यापित) लगायी जावे अथवा (2) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित (दोनो के हस्ताक्षर अनिवार्य) अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम के पारा टोला व वार्ड क्रमांक में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा। (3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबधी प्रमाण पत्र।

टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबधी प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिका नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिसकी छः माह की वैधता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक समाप्त न हुई हो) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित अंक की पात्रता होगी। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. कक्षा 8 वीं का अंकसूची में ग्रेडिंग पध्दति में होने पर आवेदिका की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फार्म के साथ संलग्न करेंगे अंक तालिका स्कूल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग अंकसूची पर अंक प्रदाय नहीं किये जायेंगे। अंक के अभाव में पदकम तैयार करने में कठिनाई होगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6. आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति हेतु रिक्त पद का विवरण :–

क.	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम/ क्रमांक	रिक्त पद का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	मैनपाट	कोटछाल	डांगबुडा	डांगबुडा	भट्टीपारा	आंगनबाड़ी सहायिका

7. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	**12 वीं अथवा 11 वीं बोर्ड उत्तीर्ण**
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	**08 वीं उत्तीर्ण**

टीपः– (1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु उपरोक्तानुसार आदिवासी परियोजना में 12वीं अथवा 11 वीं बोर्ड उत्तीर्ण कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। उपरोक्तानुसार कार्यकर्ता पद में भी शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

(2) आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु उपरोक्तानुसार आदिवासी परियोजना में 8वीं उत्तीर्ण होगी कोई आवेदिका न मिलने पर सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर पाँचवी बोर्ड रखी जावेगी।

उपरोक्तानुसार सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

8. अतिरिक्त अंक की पात्रता निम्नलिखित शर्तो पर होंगी –

(अ) अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका होने पर अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी।

(ब) गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (वर्तमान में गरीबी रेखा के प्रचलित SECC 2011 की सूची ही मान्य होगी) हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(स) आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8वीं तक अध्ययन करने का प्रमाण पत्र में दाखिल खारिज एवं अंकसूची के आधार पर मिलान होने पर अतिरिक्त अंक प्राप्त होगा।

(द) अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की महिला होने पर वैध जाति प्रमाण (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) पर प्रस्तुत करने पर ही अंक देय होगा।

(व) विधवा महिला होने पर पति के मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा पति के म ृत्यु के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(इ) परित्यक्ता के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि के संबंध में ग्राम पचांयत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(उ) तालाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर ही अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।

9. आवेदन पत्र के साथ जमा दस्तावेजों के आधार पर ही अनंतिम मूल्यांकन पत्रक दावा आपत्ति हेतु जारी किया जावेगा। दावा आपत्ति केवल अनंतिम मूल्यांकन पत्रक पर ही लिया जावेगा, दावा आपत्ति के समय किसी भी प्रकार का नया दस्तावेज नहीं लिया जावेगा।

10. समस्त दस्तावेज आवेदिका द्वारा स्व सत्यापित होना आवश्यक है एवं सलग्न दस्तावेजो के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठांकन किया जाना आपेक्षित है।

11. आठवीं एवं बारहवीं एवं कक्षा दसवीं का अंकसूची मान्यता प्राप्त बोर्ड का होना अनिवार्य है।

12. यदि आवेदिका विवाहित है तो विवाह पश्चात नाम/मध्यनाम/उपनाम में हुए परिर्वतन का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
मैनपाट, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

पृ0क्र0/548 स्था./बाविपरि/ 2026–27
मैनपाट, दिनांक– 12/11/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जिला – सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
4. जिला जन संपर्क अधिकारी, सरगुजा। (सूचना कार्य हेतु)
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपाट। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।)
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड मैनपाट जिला – सरगुजा।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड मैनपाट जिला – सरगुजा।
9. संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड मैनपाट। (चस्पा एवं मुनादी हेतु)।
10. सेक्टर पर्यवेक्षक बंदना एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना मैनपाट को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
मैनपाट, जिला–सरगुजा (छ.ग.)